सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020
भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

————————

संख्या 1577 / 79–वि–1–20–1(क)–4–20

लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

————————

अधिनियम

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 जिससे कार्मिक अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–10 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–10 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य में लागू विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1– (1)	यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।
	(2)	यह 1 फरवरी, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें	**2–**	जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, –
	(क)	लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य ऐसी सेवाओं या पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है ;
	(ख)	''नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों '' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप एफ0एन0 36039/1/2019 ई0एस0टी0टी0 (आर0ई0एस0) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों से है ;
	(ग)	''लोक सेवाओं और पदों'' का तात्पर्य राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों से है और जिसमें निम्नलिखित की सेवायें और पद सम्मिलित हैः–
		(एक) स्थानीय प्राधिकारी; (दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति, अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) में यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें समिति की अन्यून इक्यावन प्रतिशत अंश पूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; (तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई निगम या कोई कानूनी निकाय, जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें अन्यून इक्यावन प्रतिशत समादत्त अंशपूजी राज्य सरकार द्वारा धृत हो; (चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई ऐसी शिक्षण संस्था जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करती हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय सम्मिलित है; (पॉच) जिनके सम्बन्ध में आरक्षण, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को ऐसे शासनादेशों द्वारा लागू था जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन आच्छादित नहीं हैं;
	(घ)	''आरक्षण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में पदों और सेवाओं की रिक्तियों मे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण से है;
	(ड.)	किसी रिक्ति के संबंध में ''भर्ती का वर्ष'' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की ऐसी अवधि से है जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के सापेक्ष सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में आरक्षण	**3–(1)**	लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर भर्ती की जाने वाली दस प्रतिशत रिक्तियाँ, नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षित की जायेंगी ;
		परन्तु इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की श्रेणी हेतु लागू नही होगा; परन्तु यह और कि इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के

		अभ्यर्थी आरक्षण की प्रसुविधाओं के लिए पात्र नहीं होंगे;
	(2)	इस धारा के अधीन आरक्षण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 के अधीन उपबंधित आरक्षण के अतिरिक्त होगा;
	(3)	कार्मिक अनुभाग–2 की संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/ 19टी0सी0–II, दिनांक 18–02–2019 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा;
	(4)	राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना कार्यालय–ज्ञाप संख्या– 5/2019/4/1/ 2002/ का–2/ 2019 टी0सी–1, दिनांक 13.08.2019 द्वारा एक रोस्टर जारी किया है जो अनवरत् रूप से तब तक लागू रहेगा, जब तक कि उसे समाप्त न कर दिया जाय;
	(5)	यदि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का कोई व्यक्ति, योग्यता के आधार पर किसी खुली प्रतियोगिता में अनारक्षित अभ्यर्थियों के साथ चयनित किया जाता है तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के सापेक्ष समायोजित नहीं किया जायेगा।
	(6)	जहॉ किसी विशिष्ट भर्ती वर्ष में उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए कोई निश्चित की गयी रिक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के किसी उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता के कारण न भरी जा सके, वहॉ ऐसी रिक्तियॉ, आगामी भर्ती वर्ष के लिए बैकलाग के रूप में अग्रनीत नहीं की जायेंगी और उक्त रिक्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भर ली जायेगी।
इस अधिनियम के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व और शक्तियॉ	4– (1)	राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व, नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को सौंप सकती है;
	(2)	राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियॉ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।
शास्ति	5– (1)	कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी, जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया हो, जो इस अधिनियम के प्रयोजन का, जानबूझकर उल्लंघन करने या उसे विफल करने के आशय से कार्य करता हो, दोषसिद्ध होने पर, ऐसे कारावास से जो तीन माह तक हो सकता है, या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।
	(2)	कोई न्यायालय, इस धारा के अधीन, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

	(3)	उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1) , धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।
अभिलेख मॉगने की शक्ति	**6–**	यदि राज्य सरकार के संज्ञान में यह आता है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का कोई व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों या इस निमित्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मॉग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।
आय और आस्ति प्रमाण–पत्र	**7–**	इस अधिनियम के अधीन उपबंधित आरक्षण के प्रयोजन के लिए आय और आस्ति प्रमाण–पत्र, राज्य के ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो, द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे प्रपत्र में, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबंध करे, जारी किया जायेगा। कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी0सी0–II, दिनांक 18 फरवरी, 2019, इस धारा के अधीन जारी किया गया समझा जायेगा।
कठिनाईयों को दूर करना	**8–**	यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।
सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	**9–**	इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरूद्व कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।
नियम बनाने की शक्ति	**10–**	राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।
अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति	**11–**	राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने पर अनुसूची को तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।
आदेश इत्यादि का रखा जाना	**12–**	धारा 3 की उपधारा 4 और धारा 4 तथा धारा 8 के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबन्ध, उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

व्यावृत्तियॉ	13–(1)	इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व आरम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले, विधि के उपबन्धों के और शासनादेशों के अनुसार, जैसा कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।
		स्पष्टीकरण :– जहॉ सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार –
		(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहॉ, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर ; या
		(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहॉ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर; इस धारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया आरम्भ हुई समझी जायेगी।
	(2)	इस अधिनियम के उपबन्ध, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूची

(धारा 3 (1) देखें)

ऐसे व्यक्ति, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित किसी आस्ति का स्वामित्व या कब्जा हो, परिवार की आय पर ध्यान दिये बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के रूप में अभिज्ञानित किये जाने से अपवर्जित होंगे ;

एक– 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि ;
दो– 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
तीन– अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;
चार– अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

ऊपर यथा उल्लिखित परिवारों की आय और उनकी आस्तियों का सत्यापन, राज्य में तहसीलदार की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसा अधिकारी, जो प्रमाण पत्र जारी करेगा, समस्त सुसंगत दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करने के पश्चात ऐसा करेगा।

———————

उद्देश्य और कारण

संविधान (एक सौ तीनवॉ संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबन्धों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–36039/1/2019– ई0एस0टी0टी0 (आर0ई0एस0), दिनांक 19.01.2019 के निर्देश के अनुसार भारत सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का उपबन्ध किया गया है।

अतएव, राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान योजना के अतिरिक्त नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं तथा पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण और उससे संबंधित या आनुसांगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चिय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

जे0पी0 सिंह–।।
प्रमुख सचिव।